8/5/25 पत्रावली प्रार्थी गोपाल जरिये अधिवक्ता के मिसल तलबी आवेदन पर आज पेश हुई। प्रकरण मे मूलवाद को वादी ने विड्रो करवा लिया है, अत: आवेदन 212 RTA का कोई औचित्य नही है। अत: प्रार्थी

का आवेदन 212 RTM इसी स्तर पर
खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल
शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ